क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रेम सिंह बनाम श्योसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2023	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी पेश हुई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी इस आशय का पेश किया है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी अलवर के समक्ष दिनांक 23.02.1993 को विरूद्ध आदेश दिनांक 16.06.92 सहायक भू–अभिलेख अधिकारी (तहसीलदार) महवा व नामानतरण संख्या 4 दिनांक 16.06.1992 के विरूद्ध पेश की जो दिनांक 01.09.1993 को बाद समाअत बहस अपील अपीलान्ट अदम नुक्स में खारिज फरमा दी गई जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के समक्ष पेश की जिसमें दिनांक 30.12.2002 को अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक भू–अभिलेख अधिकारी (तहसीलदार) महवा का आदेश दिनांक 16.06.92 एवं न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 01.09.1993 को निरस्त कर दिया गया। एवं उभय पक्ष को सुनकर विस्तृत निर्णय हेतु माननीय न्यायालय को प्रकरण प्रेषित किया गया क्योंकि तत्समय भू प्रबंध संक्रियाऐं समाप्त हो चुकी थी। उपरोक्त अपील न्यायालय भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 30.12.2002 की अनुपालना में पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 15.03.2003 को माननीय न्यायालय को प्राप्त हुई। उपरोक्त उनवानी अपील की रेस्पोन्डेंटस रज्जन सिंह वगै0 द्वारा न्यायालय भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 30.12.2002 की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गयी। जिसमें दिनांक 02.05.2003 को निगरानी दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। हमारे अभिभाषक द्वारा हमसे कहा गया कि आपकी पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल में तलब कर ली गयी है। इसलिये महवा न्यायालय में आना आवश्यक नही है। उक्त निगरानी 16 वर्ष बाद 12.07.2019 को अदम तामिल में खारिज फरमा दी गयी। जिसका निगरानीकार द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो दिनांक 19.05.2022 को खारिज फरमा दिया गया। उपरोक्त अपील की निगरानी लगभग 20 वर्ष तक माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित रही। इसी दौरान दिनांक 29.10.2009 को माननीय अदालत हाजा द्वारा अपील अपीलांट अदम पैरवी अदम हाजरी खारिज कर दी गयी। अपीलांटस जानबूझकर	

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

Scanned by CamScanner

गैर हाजिर नही रहे है। विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त है कि अभिभाषक महोदय की गलती का खामियाजा पक्षकार को नही होना चाहिये। अपीलांट की तलबी हेतु दिनांक 08.08.2008 को अदालत हाजा द्वारा सम्मन जारी किया गया जिस पर तामिल कुनिन्दा द्वारा अपीलांट प्रेम सिंह घर पर नही मिला अंकित किया है और प्रेम सिंह के लडके देशराज द्वारा तामिल करवाया जाना अंकित किया है। अन्य दो अपीलांट की तामिल रिपोर्ट के बारे में कोई अंकन नही है। हालांकि इसके बाद दिनांक 11.11.2008 को आदेशिका पर अपीलांट ज्ञानसिह की अंगूठा निशानी दर्ज की गयी है। दिनांक 02.03.2009 की आदेशिका में अपीलांट की कोर्ट के माध्यम से तलबी किये जाने के आदेश है। लेकिन अपीलांटस की तलबी ना की जाकर दिनांक 29.10.2009 को अपील अपीलांट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करना दोषपूर्ण कार्यवाही है।

उपरोक्त उनवानी अपील अचल सम्पत्ति से संबंधित है। अपीलांटस का हित निहित है। इसलिये समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। यह अपीलांटस की एक सदभावी भूल है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांटस पुनः नम्बर पर ली जावे।

वकील रेस्पोंडेन्ट ने जबाब इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 29.10.2009 को माननीय अदालत हाजा द्वारा अपील अपीलांट अदम पैरवी अदम हाजरी खारिज कर दी गयी है। तथा रेस्पोन्डेंटस रज्जन सिंह वगै0 द्वारा न्यायालय भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 30.12.2002 की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गयी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अपील संख्या 3/2003 पर माननीय राजस्व मण्डल का कोई स्थगन नही था। जिसकी कार्यवाही लगातार चल रही थी। इसमें अपीलांट के अधिवक्ता पैरवी कर रहे थे। जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्ण रूप से थी। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम में भी कोई संतोषजनक कारण का उल्लेख नही किया है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया है। अतः खारिज किये जाने योग्य है।

बहस वकील फरीकेन सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। एवं " RRD 1997 Page 63 ,Sayad Asif Madani v/s Moh. Safi" तथा " RRD 2017 Page 602 ,Savitri v/s L.R. Pataram" नजीर पेश की गई।

दौराने बहस वकील रेस्पोंडेन्ट ने जबाव में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। एवं " 2020 (2) CJ

उपखण्ड अधिकारी
...वा जिला दौसा

Scanned by CamScanner

Page 824, Patiram v/s Ashok Kumar" तथा " 2016 (4) DNJ Page 1710, Chhitarmal v/s R.S.I.D.I."नजीर पेश की गई।

हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 29.10.2009 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज अपील को 13 वर्ष पश्चात पुनः नम्बर पर लिया जाने का निवेदन किया है। अपील माननीय न्यायालय भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 30.12.2002 की अनुपालना में पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 15.03.2003 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई थी। जो कि दिनांक 29.10.2009 तक लगातार न्यायालय में विचाराधीन रही। इसी दौरान रेस्पोंडेन्ट द्वारा माननीय न्यायालय भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 30.12.2002 की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गयी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अपील संख्या 3/2003 पर माननीय राजस्व मण्डल का कोई स्थगन नही था। जिसकी कार्यवाही लगातार चल रही थी।

अपील संख्या 3/2003 की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 30.12.2002 की अनुपालना में पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 15.03.2003 को इस न्यायालय में यह अपील दर्ज हुयी थी। जिसमें पक्षकारान की तलबी की गयी। दिनांक 14.07.2003 को अपीलांट की ओर से वकील भी उपस्थित हुये। उसके पश्चात दिनांक 20.06.2005 को रेस्पोंडेन्ट की ओर से भी वकील उपस्थित हुए है एवं रेस्पोंडेन्ट लगातार उपस्थित रहे है। इसके पश्चात दिनांक 24.05.2007 को अपीलांट की तलबी हेतु आदेश किये हुये है तथा दिनांक 11.11.2008 को अपीलांट ज्ञानसिंह की उपस्थिति भी दर्ज है और उसके पश्चात दिनांक 28.10.2009 को उभयपक्ष की उपस्थिति दर्ज है। तथा दिनांक 29.10.2009 को अपील अपीलांट की अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गयी है।

अपीलांट ने इस प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी में 13 वर्ष पश्चात प्रस्तुत करने का कारण उनवानी अपील की रेस्पोन्डेंटस रज्जन सिंह वगै0 द्वारा न्यायालय भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 30.12.2002 की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत करना एवं दिनांक 02.05.2003 को निगरानी दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाना बताया है। जिसमे अभिभाषक द्वारा पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल में तलब करने के कारण महवा न्यायालय में आने की आवश्यकता नही होना बताया है। जो कि संतोषजनक नही है। क्योंकि

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

Scanned by CamScanner

यहां सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर अपीलांट के कारण को संतोषजनक माना भी जाये तो यह कारण सच नही है क्योंकि अपीलांट ने स्वयं कथन किया है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी में दिनांक 02.05.2003 को निगरानी दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किये जाने का आदेश हुये है। जबकि आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 14.07.2003 को अपीलांट की ओर से अपील में वकील भी उपस्थित हुये। तथा लगातार दिनांक 20.06.2005 तक उपस्थित रहे है। अतः अपीलांट के दोनों ही कथन विरोधाभाषी है।

इसके पश्चात दिनांक 24.05.2007 को अपीलांट की तलबी हेतु आदेश किये हुये है तथा दिनांक 11.11.2008 को अपीलांट ज्ञानसिंह की उपस्थिति भी दर्ज है। तथा दिनांक 29.10.2009 को अपील अपीलांट की अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गयी है। अतः अपील न्यायालय हाजा में विचाराधीन होने का तथ्य अपीलांट से छुपा हुआ नही है। अपीलांट को अपील की पूर्ण जानकारी थी क्योंकि यह अपील न्यायालय हाजा में न्यायालय भूप्रबन्ध आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 30.12.2002 की अनुपालना में पुनः सुनवाई हेतु दर्ज हुई थी। इसलिये अपीलांट को अपनी अपील का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिये था।

अतः यह अपीलांटस की एक सदभावी भूल नही है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम में दर्ज कारण संतोषजनक नही है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरे कम समयावधि एवं अभिभाषक की गलती का खामियाजा पक्षकार को नही से संबंधित है। जो कि प्रकरण पर चस्पा नही होती है। क्योंकि यहां दिनांक 11.11.2008 को अपीलांट ज्ञानसिंह की उपस्थिति भी दर्ज है एवं प्रकरण में लगभग 13 वर्ष देरी हो चुकी है। जबकि रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण पर बखूबी चस्पा होती हैं। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी खारिज योग्य है।

अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

Scanned by CamScanner